पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.140
दिनांक-22.01.2026

जोन- उत्तरी/ थाना- बक्शी का तालाब,लखनऊ

दिनांक 20.01.2026 की रात्रि को थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत इंदौराबाग अंडरपास सर्विस लेन पर कंटेनर चालक राममूर्ति की हत्या की घटना का सफल अनावरण।

- **24 घंटे के भीतर ब्लाइंट मर्डर का खुलासा ।**
- **शराब के नशे में छेड़छाड़ बना हत्या का कारण, आरोपी रिश्तेदार गिरफ्तार ।**
- **देर रात्रि आरोपी अभियुक्त को आउटर रिंग किसान पथ, सर्विस लेन (बायीं पटरी) पर प्लाईवुड फैक्ट्री के पास, रामपुर देवरई मार्ग से किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्त की निशानदेही पर आलाक़त्ल व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा वाहन भी पुलिस द्वारा बरामद ।**
- **इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, स्थानीय सूचना तंत्र व सटीक विवेचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्या की घटना का अनावरण।**

---

01. घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **20.01.2026** को थाना **बक्शी का तालाब** क्षेत्रान्तर्गत **इंदौराबाग अंडरपास सर्विस लेन** के किनारे खड़े एक **कंटेनर** में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना **पीआरवी** के माध्यम से थाना स्थानीय को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची।

मौके पर एक व्यक्ति कंटेनर के केबिन में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया, जिसे तत्काल **100 शैय्या अस्पताल** भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे **मृत घोषित** कर दिया गया।

उक्त मृतक की पहचान **राममूर्ति पुत्र छोटेलाल**, निवासी **ननसोहा, थाना रामकोट, जनपद सीतापुर** के रूप में हुई। इस संबंध में मृतक के पिता **श्री छोटेलाल** की तहरीर पर थाना बक्शी का तालाब पर **मु0अ0सं0 025/2026**, धारा **103(1) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

02. विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना स्तर के साथ-साथ क्राइम एवं सर्विलांस टीम, डीसीपी उत्तरी को विवेचना में लगाया गया। विवेचना के दौरान—

- घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण
- फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस
- 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन
- स्थानीय मुखबिर तंत्र की सहायता

के माध्यम से तथ्यों का गहन विश्लेषण किया गया। **विवेचनात्मक कार्यवाही से यह तथ्य प्रकाश में आया कि हत्या की घटना को मृतक के ही एक रिश्तेदार द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसका नाम सन्दीप कुमार है।**

दिनांक **22.01.2026** को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त **आउटर रिंग किसान पथ, सर्विस लेन (बायीं पटरी)** पर **प्लाईवुड फैक्ट्री के पास, रामपुर देवरई मार्ग** पर मौजूद है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, किंतु सतर्कता से उसे **समय 03:15 बजे गिरफ्तार** कर लिया गया।

- गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम **सन्दीप कुमार पुत्र अमर पाल**, निवासी **धनीपुर, थाना खैराबाद, जनपद सीतापुर**, हाल पता **झुग्गी-झोपड़ी, सेक्टर-8, जानकीपुरम, थाना जानकीपुरम, लखनऊ**, उम्र लगभग **25 वर्ष** बताया।

03. अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान **अभियुक्त द्वारा बताया गया** कि **मृतक राममूर्ति उसका रिश्तेदार** था तथा **कंटेनर चालक के रूप में** कार्य करता था। मृतक जब भी लखनऊ आता-जाता था तो अभियुक्त से मिलता था।

दिनांक **19.01.2026** को मृतक ने अभियुक्त को फोन कर बताया कि वह हरिद्वार से कंटेनर में मोटरसाइकिल लादकर गाजीपुर जा रहा है और **इंदौराबाग देशी शराब ठेका** के पास मिलने को कहा। अभियुक्त ई-रिक्शा से वहाँ पहुँचा।

दोनों द्वारा शराब का सेवन किया गया तथा बाद में भिठौली क्रॉसिंग से मुर्गा खरीदकर अभियुक्त के घर ले जाकर भोजन व शराब का सेवन किया गया।

उसी दौरान अभियुक्त की पत्नी द्वारा बताया गया कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में मृतक ने उसकी साली से शराब के नशे में छेड़छाड़ की थी। इस पर अभियुक्त द्वारा मृतक से विवाद किया गया तथा पत्नी के कहने पर अभियुक्त मृतक को **भिठौली क्रासिंग** छोड़कर चला गया।

कुछ समय पश्चात अभियुक्त पुनः रात्रि में मृतक के पास **इंदौराबाग अंडरपास क्षेत्र में स्थित कंटेनर** के पास पहुँचा। वहाँ अभियुक्त द्वारा मृतक से छेड़छाड़ के विषय में पूछताछ करने पर दोनों के मध्य कहासुनी एवं विवाद हो गया। विवाद के दौरान अभियुक्त अत्यधिक उत्तेजित हो गया तथा कंटेनर में रखी **लोहे की रॉड** से मृतक के सिर पर कई वार किए तथा उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के उपरांत अभियुक्त कुछ समय तक घटनास्थल पर ही मौजूद रहा तथा मृतक की मृत्यु सुनिश्चित होने पर **आलाक़त्ल (लोहे की रॉड)** को कंटेनर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया। अगले दिन अभियुक्त सामान्य रूप से ई-रिक्शा चलाता रहा।

दिनांक **22.01.2026** को अभियुक्त उक्त छिपाए गए आलाक़त्ल को लेने हेतु पुनः घटनास्थल के पास आया, जहाँ उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर **आलाक़त्ल लोहे की रॉड** बरामद की गई।

अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए **आज 22-01-2026** दिनाँक को समय 03:15 बजे **आउटर रिंग किसान पथ के सर्विस लेन पर बायी पटरी पर प्लाईवुड फैक्ट्री के पास रामपुर देवरई जाने वाले मार्ग** से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त की साली से मृतक द्वारा शराब के नशे में की गई छेड़छाड़ से उत्पन्न आक्रोश के कारण हत्या की घटना को अंजाम देना।

05. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. **सन्दीप कुमार पुत्र अमर पाल,** उम्र – लगभग 25 वर्ष
   निवासी – धनीपुर, थाना खैराबाद, जनपद सीतापुर **हाल पता** – झुग्गी-झोपडी, सेक्टर-8, जानकीपुरम, लखनऊ
   व्यवसाय – ई-रिक्शा चालक

06. बरामदगी का विवरण

- एक अदद **लोहे की रॉड (आलाक़त्ल)**
- अभियुक्त के **खूनालूद कपड़े**
- घटना में प्रयुक्त **ई-रिक्शा संख्या UP32 YN 1714**

08. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम विवरण :

क्राइम / सर्विलांस टीम, डीसीपी उत्तरी

1. क्राइम/सर्विलांल टीम प्रभारी उ0नि0 मनीष कुमार मिश्र
2. हे0का0 अवधेश गिरी
3. हे0का0 नदीम
4. हे0का0 संतोष कुमार
5. हे0का0 अमित कुमार गौतम

थाना बक्शी का तालाब

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह
2. अति0नि0 श्री कैलाश चन्द्र दुबे
3. उ0नि0 रामप्रभाव सिंह
4. उ0नि0 शेषमणि मिश्रा
5. उ0नि0 अशोक कुमार यादव
6. उ0नि0 सुशील कुमार त्रिपाठी
7. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार मिश्रा
8. का0 पारस कुमार
9. का0 नितिन कुमार
10. म0का0 पूजा शर्मा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.141
दिनांक-22.01.2026

जोन- उत्तरी/ थाना- मलिहाबाद

- **क्राइम/सर्विलांल टीम डीसीपी उत्तरी व थाना मलिहाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण।**
- **हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।**
- **अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त होने वाला 01 अदद फावडा बरामद ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक **21.01.2026** को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के थाना मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम **खड़ता** में नहर की पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिलने की सूचना प्राप्त हुई। मृतक की पहचान **अर्जुन पाल पुत्र स्व0 डोरीलाल**, उम्र लगभग **50 वर्ष**, निवासी ग्राम खड़ता, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के रूप में हुई।

उक्त सम्बन्ध में मृतक की पत्नी **श्रीमती शिवरानी पत्नी स्व0 अर्जुन पाल**, उम्र लगभग **48 वर्ष**, निवासी ग्राम खड़ता, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ की तहरीर के आधार पर थाना मलिहाबाद पर **मु0अ0सं0 011/2026**, धारा **103(1) बीएनएस**, बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

02-विवेचना एवं गिरफ्तारी-

विवेचना के दौरान स्थानीय सूचना तंत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की हत्या उसके ही दोनों पुत्रों द्वारा की गई है। इस सम्बन्ध में मृतक के बड़े भाई **मुन्नूलाल पाल पुत्र स्व0 डोरीलाल**, निवासी ग्राम खड़ता,थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर अपने भतीजों **रुपलाल पुत्र स्व0 अर्जुन पाल**, उम्र लगभग **20 वर्ष**, बाल अपचारी, उम्र लगभग **17 वर्ष 11 माह**, द्वारा **अपने पिता अर्जुन पाल की हत्या** किये जाने का आरोप लगाते हुए तहरीरी सूचना दी गई।

उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के शव का नियमानुसार पंचायतनामा/कागजी कार्यवाही उपरान्त ग्रामवासियों एवं परिजनों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कराया गया।

इसके पश्चात मृतक के **दोनों पुत्रों** को पूछताछ हेतु थाना लाया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त व बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि उनके पिता आए दिन शराब/गांजा का नशा कर परिवारजनों के साथ गाली-गलौज व मारपीट करते थे तथा दिनांक **19.01.2026** की शाम को भी विवाद हुआ था।

अभियुक्तों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि दिनांक **20.01.2026** की रात्रि लगभग **03.30 बजे** उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से फावड़े से मृतक की कनपटी पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी तथा शव को ई-रिक्शा में रखकर नहर की पटरी के किनारे फेंक दिया, जिससे घटना को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **एक अदद फावड़ा (आलाक़त्ल)** बरामद किया गया।

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त **रुपलाल पुत्र स्व0 अर्जुन पाल** को दिनांक **21.01.2026** को समय **22.40 बजे** गिरफ्तार किया गया, जबकि **बाल अपचारी** के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है।

अभियुक्त व बाल अपचारी द्वारा साक्ष्य छिपाने एवं घटना को दुर्घटना का रूप देने के प्रयास के कारण मुकदमा उपरोक्त में **धारा 238 बीएनएस** की वृद्धि की गई है।

मुकदमा उपरोक्त में संकलित साक्ष्यों के आधार पर **धारा 103(1) बीएनएस व धारा 238 बीएनएस** के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त/बाल अपचारी को मृतक द्वारा प्रताडित /परेशान करने से परेशान होकर हत्या कर देना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

प्रकाश मे आये अभियुक्त-

01.रुपलाल पुत्र स्व0 अर्जुन पाल निवासी पता ग्राम खडता थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष (व्यवसाय – मेहनत मजदूरी) व **02. बाल अपचारी** उम्र करीब 17 वर्ष।

04-बरामदगीः-

अभियुक्त रुपलाल उपरोकत से **01 अदद फावडा व ब्लड लगी हुयी टी शर्ट** बरामद ।

06-गिरफ्तारी करने वाली थाना बीकेटी की पुलिस टीम –

क्राइम/सर्विलांल टीम डीसीपी उत्तरी

01-क्राइम/सर्विलांल टीम प्रभारी उ0नि0 मनीष कुमार मिश्र
02-हे0का0 अवधेश गिरी
03-हे0का0 नदीम
04-हे0का0 संतोष कुमार
05-हे0का0 अमित कुमार गौतम

थाना मलिहाबाद

01- प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह भाटी
02-उ0नि0 श्री अमन कुमार श्रीवास्तव
03-उपनिरीक्षक श्री राहुल तिवारी
04-उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार सिंह
05-उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार
06-उपनिरीक्षक अनिल कुमार गौतम
07-का0 सुशील कुमार
08-का0 विकास मलिक
09-का0 उत्तम राठी
10-का0 मुकेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 22.01.2026

मिशन शक्ति 5.0 ने बताई नई राह, महिला सशक्तिकरण का संदेश

थाना मानकनगर क्षेत्र अंतर्गत मां दुर्गा मंदिर जाकर बच्चों को मिशन शक्ति 5.0 व एंटी रोमियो के तहत महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन ,साईबर जागरूकता आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्प लाईन नम्बर एवं यूपी काप आदि के बारे में किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना मानकनगर द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला एस0आई0 सुश्री पूजी पाल मिशन शक्ति प्रभारी थाना मानकनगर लखनऊ कमिश्नरेट
- मानकनगर क्षेत्र में मां दुर्गा मंदिर थाना मानकनगर

प्रतिभाग-

- महिला एस0आई0 सुश्री पूजी पाल मिशन शक्ति प्रभारी थाना मानकनगर लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला हे0का0 श्रीमती गोमती देवी थाना मानकनगर लखनऊ कमिश्नरेट
- मानकनगर क्षेत्र में मां दुर्गा मंदिर जाकर बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

थाना मानकनगर टीम द्वारा आज दिनांक 22.01.2026 को मानकनगर क्षेत्र में मां दुर्गा मंदिर जाकर बच्चों को मिशन शक्ति 5.0 व एंटी रोमियो के तहत महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन ,साईबर जागरूकता आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्प लाईन नम्बर 1090,181,1098,1076,101,102, 108,112,1930 एवं यूपी काप आदि के साथ महिलाओ के लिए समर्पित सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूक किया गया **बच्चो को** महिला अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर: उन्हें आपात स्थिति और सहायता के लिए सभी जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 22.01.2026

मिशन शक्ति 5.0 ने बताई नई राह, महिला सशक्तिकरण का संदेश

थाना मानकनगर क्षेत्र अंतर्गत मां दुर्गा मंदिर जाकर बच्चों को मिशन शक्ति 5.0 व एंटी रोमियो के तहत महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन ,साईबर जागरूकता आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्प लाईन नम्बर एवं यूपी काप आदि के बारे में किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना मानकनगर द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला एस0आई0 सुश्री पूजी पाल मिशन शक्ति प्रभारी थाना मानकनगर लखनऊ कमिश्नरेट
- मानकनगर क्षेत्र में मां दुर्गा मंदिर थाना मानकनगर

प्रतिभाग-

- महिला एस0आई0 सुश्री पूजी पाल मिशन शक्ति प्रभारी थाना मानकनगर लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला हे0का0 श्रीमती गोमती देवी थाना मानकनगर लखनऊ कमिश्नरेट
- मानकनगर क्षेत्र में मां दुर्गा मंदिर जाकर बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

थाना मानकनगर टीम द्वारा आज दिनांक 22.01.2026 को मानकनगर क्षेत्र में मां दुर्गा मंदिर जाकर बच्चों को मिशन शक्ति 5.0 व एंटी रोमियो के तहत महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन ,साईबर जागरूकता आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्प लाईन नम्बर 1090,181,1098,1076,101,102, 108,112,1930 एवं यूपी काप आदि के साथ महिलाओ के लिए समर्पित सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूक किया गया **बच्चो को** महिला अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर: उन्हें आपात स्थिति और सहायता के लिए सभी जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.142
दिनांक 22/01/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- नगराम

थाना नगराम पुलिस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन-

रात्रि गश्त के दौरान सतर्क पुलिसकर्मियों की तत्परता से, अनियंत्रित होकर कुएं में गिरे मोटरसाइकिल सवार युवक को सफल रेस्क्यू ऑपरेशन सुरक्षित बाहर निकाला गया।

- **थाना नगराम पुलिस ने मानवीय संवेदना और अदम्य साहस का दिया परिचय।**
- **थाना नगराम पुलिस की तत्परता से कुएं में गिरे युवक की सुरक्षित रेस्क्यू**
- **रात्रि गश्त के दौरान सतर्क पुलिसकर्मियों ने दिखाया साहस और सूझबूझ**
- **युवक को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया**
- **स्थानीय नागरिकों ने नगराम पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की**

घटना का विस्तृत विवरण

दिनांक 21.01.2026 की देर रात्रि (समय लगभग 12:10 बजे) थाना नगराम पुलिस टीम रात्रि गश्त ड्यूटी के दौरान करोरा–नगराम मार्ग स्थित हसवापुल के पास भ्रमणशील थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम की नजर सड़क किनारे लावारिस अवस्था में पड़ी एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों को पास स्थित एक कुएं से मदद की आवाज सुनाई दी।

तत्काल पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी में कुएं में झांककर देखा गया, तो एक युवक कुएं में गिरा हुआ पाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा बिना समय गंवाए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया।

उपलब्ध संसाधनों के अभाव में पुलिसकर्मियों ने अदम्य साहस एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने कानों पर बंधे मफलर एवं लोई को आपस में जोड़कर एक अस्थायी रस्सी तैयार की और उसे कुएं में लटकाया। पुलिसकर्मियों द्वारा युवक को ढांढस बंधाया गया तथा कड़ी मशक्कत के उपरांत युवक को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया।

युवक का विवरण एवं स्वास्थ्य स्थिति

रेस्क्यू के बाद पूछताछ में युवक ने अपना नाम रितेश जायसवाल पुत्र श्री मोहनलाल जायसवाल, निवासी एवीएम कॉलोनी, अर्जुनगंज, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 25 वर्ष बताया।

युवक द्वारा बताया गया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से चौक, लखनऊ से अपने गांव भवानीगढ़, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली जा रहा था।

रास्ता अपरिचित होने के कारण वह गूगल मैप के माध्यम से नगराम–खुजौली मार्ग से जा रहा था। अचानक मोड़ आने पर वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क से नीचे खेत में बने कुएं की दीवार से टकराकर मोटरसाइकिल से छिटकते हुए सीधे कुएं में गिर गया।

रेस्क्यू के उपरांत युवक को तत्काल निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराकर प्राथमिक उपचार दिलाया गया। चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि युवक की स्थिति पूर्णतः सामान्य है तथा उसे केवल मामूली चोटें आई हैं।

परिजनों को सूचना एवं सुपुर्दगी

युवक के परिजनों को दूरभाष के माध्यम से घटना की सूचना दी गई। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद युवक को आवश्यक कपड़े पहनाकर एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में परिजनों के सुपुर्द कर थाना नगराम से रुखसत किया गया।

सराहनीय कार्य

थाना नगराम पुलिस की इस त्वरित, साहसिक एवं मानवीय कार्रवाई की युवक के परिजनों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है। संकट की घड़ी में पुलिस द्वारा किए गए इस जीवन रक्षक कार्य ने खाकी के मानवीय चेहरे को और अधिक मजबूत किया है।

रात्रि गश्त ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मी

1. का0 पवन कुमार यादव
2. का0 सुरजीत वर्मा